# कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांक : 23292 दिनांक :– 8/12/22

## दर संविदा ई–निविदा सूचना

DLB2223SLOB22301

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से निगम में वॉचमैन एंव सिक्युरिटी मैन की व्यवस्था हेतु ऑन लाईन निविदाएं सम्बंधित अनुभवी सवेंदको से आमंत्रित की जाती है। इन कार्यो की अनुमानित लागत, निविदा अपलोड करने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://www.eproc. rajasthan. gov.in, http:// www.sppp.raj.nic.in एवं जोधपुर नगर निगम की वेबसाईट www. jodhpurmc. org पर देखी जा सकती है।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांक :– 23293 to 23298 दिनांक :– 8/12/22

प्रतिलिपि :–

01. सम्पादक ............................................ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा को .................................................संस्करण में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करें।
02. अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
03. सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
04. कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
05. आई.टी सेल/मै. इलीट मंत्रा, नगर निगम जोधपुर दक्षिण, को भेज कर लेख है कि उक्त निविदा निगम की वेबसाईट एंव www.sppp.raj.gov.in पर अपलोड करे।
06. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

# कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांक : 23299 दिनांक :- 8/12/22

## अल्पकालीन दर संविदा ई–निविदा सूचना

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से निगम में वाचमैन एंव सिक्युरिटी मैन लगाने हेतु एक वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई–टेण्डर प्रक्रिया से निविदाएं आंमत्रित की जाती है। इच्छुक पंजिकृत फर्म/संस्था निविदा में हिस्सा लेना चाहते है वे अपनी ई – टेण्डर निविदाएं तकनीकी व वित्तिय निविदाएं ऑनलाईन प्रत्येक मद के आगे अंकित दिनांक व समय तक इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में प्रेषित कर सकते है। राजकीय अवकाश होने पर निविदायें अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।

| क्र. स. | सेवा / सामग्री /कार्य का विवरण | अनुमानित राशि रू. | धरोहर राशि रू. | ई– टेण्डर प्रक्रिया शुल्क | निविदा शुल्क रू. | निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय | तकनिकी निविदा खोलने की तिथि व समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | वॉचमैन एंव सिक्युरिटी मैन | 75.00 लाख | 150,000/– | 1000/– | 1000/– | 15.12.22 3.00 PM | 16.12.22 3.00 PM |

## महत्वपूर्ण दिनांको का विवरण

| विवरण | दिनांक | समय |
|---|---|---|
| ऑन लाईन निविदा फार्म डाउनलोड प्रारम्भ होने की दिनांक व समय | 08/12/2022 | 5.15 P.M |
| ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड प्रारम्भ होने की दिनांक व समय | 08.12.22 | 5.15 PM |
| ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय | 15.12.22 | 3 PM |
| निविदा शुल्क/धरोहर राशि/ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क के डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति लेखा शाखा रूम नं. 216 नगर निगम कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय | 15.12.22 | 3 PM |
| ऑन लाईन तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक व समय | 16.12.22 | 3 PM |

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

## निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार हैं :–

1. निविंदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्र को वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता हैं। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदको को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करनी होगी।
2. ऑनलाइन निविदा खोलने की दिनांक को किसी कारणवश यदि निविदायें नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
3. निविदा एक वर्ष तक या नई निविदा तक मान्य रहेगी।
4. दर्शायी गयी अनुमानित लागत से कम या अधिक क्रय करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगी।
5. निविदा संबंधित कार्य में निर्धारित व्यवहार करने वाली फर्म ही प्रस्तुत करे जिसका घोषणा पत्र देना होगा।
6. इस निविदा को निगम की website www.jodhpurmc.org, www.eproc.rajasthan.gov.in , www.sppp.rajasthan.nic.in पर देखा जा सकता है।
7. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी./बैंकर चैक की मूल प्रति नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय के लेखा शाखा कमरा नं. 216 में निर्धारित समय से पूर्व जमा करवाना आवश्यक हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है :–

| कं.सं. | शुल्क विवरण | शुल्क राशि | भुगतान का प्रकार | देय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | निविदा शुल्क | 1000/– | डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक | आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण |
| 2. | धरोहर राशि | 150000/– | डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक | आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण |
| 3. | ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क | 1000/– | डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक | MD RISL, JAIPUR |

8. निविदादाता निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क के डी.डी/बैंकर चैक. की मूल प्रति लिफाफे में प्रस्तुत करेंगे जिस पर निविदा सूचना कमांक, निविदादाता का नाम,पता एवं मोबाइल नं. अंकित होने आवश्यक हैं।
9. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने आवश्यक है।
10. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता हैं अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
11. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
12. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवानिवृत के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नही कर सकेगें यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा

जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले नहीं ली हैं, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।

13. निविदा में निविदादाताओं से अंतर राशि परफोरमेन्स सिक्यूरिटी के रूप में प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृति निविदा का कार्यादेश दिया जायेगा।

14. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकारी निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

15. समस्त निविदा कार्य पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 लागू होगें।

16. निविदा प्रस्तुत करने वाली इच्छुक फर्म/संस्था द्वारा तकनीकी व वित्तिय दोनो प्रपत्र में पृथक–पृथक भरना अनिवार्य है।

17. तकनीकी निविदा से सम्बन्धित दस्तावेज केवल तकनीकी निविदा में अपलोड किया जावे एंव निविदा की दरें वित्तिय निविदा (BOQ) में ही अपलोड करनी होगी।

18. तकनीकी मापदण्ड के अभाव में निविदा तकनीकी रूप से विफल मानी जायेगी एंव विफल संवेदक की वित्तीय बिड नही खोली जायेगी।

**आयुक्त**
**नगर निगम जोधपुर दक्षिण**

# तकनीकी निविदा चैक लिस्ट
## (वॉचमैन एंव सिक्यूरिटी मैन निविदा)

| क्र सं. | विवरण | संलग्न दस्तावेज का विवरण | | | संलग्न हैं या नहीं |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | निविदा/बोली शुल्क रू. 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) की डी.डी./बैंकर चैक आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण के नाम (स्केन कॉपी) | डी.डी. सं. | दिनांक | राशि | |
| 2. | ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क रू. 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) की डी.डी./बैंकर चैक M.D. RISL JAIPUR के नाम। (स्केन कॉपी) | डी.डी. सं. | दिनांक | राशि | |
| 3. | निविदा/बोली की धरोहर राशि रूपये 150,000 (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) का डी.डी. /बैंकर चैक आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण के नाम (स्केन कॉपी) | डी.डी. सं. | दिनांक | राशि | |
| 4. | निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ की स्व–प्रमाणित प्रति। | पृष्ठ सं. ......... से .......... तक | | | |
| 5. | राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 | रजि. सं. | दिनांक | वर्ष | |
| 6. | कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के पंजीयन की स्व हस्ताक्षरित प्रति। | रजि. सं. | दिनांक | वर्ष | |
| 7. | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के पंजीयन की स्व हस्ताक्षरित प्रति। | रजि. सं. | दिनांक | वर्ष | |
| 8. | वस्तु एवं सेवा कर (GST) के पंजीयन की स्व हस्ताक्षरित प्रति। | | | | |
| 9. | आयकर (पैन नम्बर) पंजीयन की स्व हस्ताक्षरित प्रति। | | | | |
| 10. | Establishment Shop & Commercial Act Registration की स्व हस्ताक्षरित प्रति। | रजि. सं. | दिनांक | वर्ष | |
| 11. | प्राईवेट सिक्यूरिटी एंजेसी (रेग्युलेशन) अधिनियम 2005 के तहत जारी लाईसेंस की प्रति की स्व हस्ताक्षरित प्रति। | | | | |
| 12. | गत दो वित्तीय वर्षो में औसतन प्रतिवर्ष 100 लाख टर्न ओवर की सी.ए. ऑडिट रिर्पोट्स की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियां। | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | नगर निगम/परिषद/पालिका/नगर विकास न्यास /जे.डी.ए. या अन्य सरकारी विभाग में कार्य करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र की स्व हस्तान्तरित फोटो प्रतियां। | प्रमाण पत्र कमांक ............................... दिनांक .......................... | | | |
| 14 | संयुक्त उद्यम का अनुबन्ध तथा मुख्य बोलीदाता का अधिकार पत्र (यदि लागू हो तो)। स्व हस्तान्तरित | | | | |
| 15. | निविदादाता को रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा समस्त निविदा को भलीभांति पढ लिया व समझ लिया गया हैं एंव प्रत्येक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर प्रमाणित कर दिये गये है। संस्था/फर्म का कोई भी निदेशक/ प्रंबधक /प्रोपाईटर न्यायालय द्वारा दोष सिद्व व्यक्ति नही है तथा उसके द्वारा किसी भी दोष सिद्व व्यक्ति को संविदा के अन्तर्गत सेवा पर नही भेजा/लगाया जायेगा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एंव तथ्य पूर्णतया सत्य है एंव इसके पूर्ण/आंशिक असत्यता के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। संस्था/फर्म को किसी भी सरकारी विभाग/स्थानीय निकाय आदि द्वारा ब्लैकलिस्ट या डिबार नहीं किया गया है। | | | | |
| 16. | पूर्ण रूप् से भरी गई हस्ताक्षर सहित बिड डाटा शीट | | | | |

**निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर**

**निविदादाता का नाम..........................................**

**पता.................................................................**

**.....................................................................**

**मोबाईल नम्बर.............................................**

# नगर निगम जोधपुर दक्षिण

## वित्तीय निविदा प्रस्ताव
## वॉचमैन एंव सिक्यूरिटी मैन की सेवाओ के उपापन हेतु निविदा में दरे निम्नानुसार प्रपत्र मे प्रस्तुत की जायेगी।

| क्रसं. | कार्य की प्रकृति | कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन | श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रति व्यक्ति प्रतिमाह | सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह | इ.पी. एफ. दर 13 प्रतिशत | इ.एस. आई. दर 3. 25 प्रतिशत | सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि प्रति व्यक्ति प्रतिमाह | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | वॉचमैन | अकुशल | 6734 | | 875.42 | 218.86 | | 7828.28 |
| 02 | सिक्यूरिटी मैन | कुशल | 7358 | | 956.54 | 239.14 | | 8553.68 |

संवेदक के हस्ताक्षर मय सील

## Bid Data Sheet
### (To be filled in capital letters)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Legal Name of bidder | | |
| **2** | GST Number | | |
| **3** | Pan Number | | |
| **4** | Business Category:<br>(Yes Appropriate Box) | Corporation | |
| | | Individual | |
| | | Sole Proprietorship | |
| | | Limited Liability Partnership | |
| | | Partnership | |
| | | Other, PI Specify | |
| **5** | Address of Correspondence | | |
| **6** | Name of Authorized Signature | | |
| **7** | Bid document fee detail | Amount Rs. | |
| | | DD/BC/Receipt No. | |
| **8** | Processing fee detail | Amount Rs. | |
| | | DD/BC/Receipt No. | |
| **9** | EMD/Bid Security detail | Amount Rs. | |
| | | DD/BC/Receipt No. | |
| **10** | Applicable Rate of G.S.T. | | |
| **11** | Mobail No. | | |
| **12** | Email | | |
| **13** | Annual Turn Over (CA Certificate with Seal and Membership Number is to be enclosed) | 2020-21 Rs. | (In Lacks) |
| | | 2021-22 Rs. | (In Lacks) |
| **14** | 'Average Turn Over | | (In Lacks) |
| **15** | Experience (Attach work order copy, Satisfactory Performance, Certificate of Competent Authority) | | |

**SIGNATURE OF BIDDER**

# जोधपुर नगर निगम, जोधपुर

## विभिन्न कार्यो को सम्पादित करने वाले व्यक्ति हेतु योग्यता का विवरण

| श्रेणी | कार्य का संक्षिप्त विवरण | उक्त कार्य करने बाबत् निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता |
|---|---|---|
| 01 | अकुशल श्रेणी–वॉचमैन एंव कुशल श्रेणी–सिक्युरिटी मैन श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 के अनुसार श्रेणी में अन्य कार्य करने वाले श्रमिक। | संवेदक उक्त पदों हेतु नियमित भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता अनुसार श्रमिक उपलब्ध करायेगा। न्यूनतम योग्यता 10 वीं पास होना अनिवार्य है।<br>(संवेदक सम्बन्धित व्यक्ति की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी कागजात/दस्तावेजों की स्व. हस्ताक्षरित फोटो प्रति रखेगा एवं उन पर मूल दस्तावेजों से मिलान करने का अंकन अपनी ओर से करेगा)।<br>कार्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा मांगने पर संवेदक उक्त अभिलेखों को दिखाऐगा एवं मांगने पर फोटोप्रति भी उपलब्ध करवाऐगा।<br>शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक कागजात/दस्तावेज लेने एवं योग्यता होने की सुनिश्चिता सम्बन्धी दायित्व संवेदक का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा कमी होने पर संवेदक कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायी होगा। |

**हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर**

**निविदा की शर्तें :–**

1. निविदादाता के पास भविष्य निधि खाता संख्या, राज्य कर्मचारी बीमा संख्या, सेवाकर खाता संख्या एवं आयकर खाता संख्या होना आवश्यक है।
2. निविदादाता का सक्षम श्रम अधिकारी से श्रम प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षागार्ड आपूर्ति के उद्देश्य के रूप में Shop & Commercial Establishment Act. में पंजीयन होना आवश्यक है।
3. फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को लिखित में संवेदक द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य/ सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा तथा फर्म में नया/नये भागीदार संविदा की समस्त शर्तो/नियमों को पूर्ण रूप से मानने/स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा/होगे।
4. निविदादाता फर्म का पिछले दो वित्तीय वर्षो में औसतन Assessed Turnover कम से कम 100 लाख रूपये होना चाहिए। इसके लिए निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ आयकर विभाग में दाखिल की गई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अथवा चार्टेट अकाउन्टेन्ट द्वारा जारी Certified Balance Sheet की प्रति सलंग्न करना आवश्यक होगा।
5. निविदादाता द्वारा सलंग्न किऐ जाने वाले अथवा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक डॉक्यूमेन्ट स्वहस्ताक्षरित होने चाहिऐ तथा प्रत्येक पृष्ठ नं. अंकित करना होगा।
6. निर्धारित धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा प्रस्तुत करनी होगी। जो कि तकनीकी बिड के साथ स्केन करना होगा।
7. निविदादाता को केन्द्रीय एवं राज्य विधि के अन्तर्गत देय कर, अंशदान आदि, विभिन्न श्रम अधिनियम/नियमों तथा विधि के अन्य सुसंगत प्रावधानों का स्वंय के स्तर पर पालन करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा में विभिन्न संवर्गो/श्रेणियों के लिए प्रस्तुत दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत देय पारिश्रमिक, संवेदक का सेवा शुल्क, भविष्य निधि प्रीमियम, राज्य कर्मचारी बीमा प्रीमियर सेवाकर, आयकर एवं जीएसटी को छोड़कर अन्य करों को शामिल करते हुए दर प्रस्तुत करनी होगी। प्रस्तुत दरों में जीएसटी के अतिरिक्त अन्य कोई राशि निगम द्वारा देय नहीं होगी।
9. आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण, बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत होगा।
10. निविदा प्रपत्र एवं शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं प्रस्तुत/सलंग्न डोक्यूमेन्ट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। फर्म/संस्था का अधिकृत व्यक्ति जो निविदा प्रपत्रों, शर्तो, डोक्यूमेन्टस पर हस्ताक्षर करेगा उसी के द्वारा अनुबंध तथा समय–समय पर प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों पर हस्ताक्षर करेगा।
11. फर्म/संस्था द्वारा जो दरें अंकित की जावेंगी वे अनुबंध होने की तिथि से दो वर्ष के लिए मान्य होगी। आगे की अनुबंध अवधि उन्ही दरों एवं शर्तो पर आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।
12. सुरक्षागार्ड को श्रम विभाग के नियमों तथा अन्य सुसंगत नियमों के अन्तर्गत देय न्यूनतम पारिश्रमिक के भुगतान के लिए संवेदक उत्तरदायी होगा। कम भुगतान की शिकायत आने पर सक्षम आदेश होने पर संवेदक के बिलों से उक्त राशि की कटौति कर सम्बन्धित को भुगतान करते हुए संवेदक पर रूपये 10,000/– प्रति शिकायत शास्ति आरोपण या/तथा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
13. सेवाओं का समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नोर्म्स के अनुसार होगा, किन्तु आवश्यक होने पर समय से पूर्व अथवा पश्चात् अथवा अवकाश के दिन भी सेवाये ली जा सकती है। इसके लिए अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
14. दरे अनुमोदन होने के पश्चात् कार्य आदेश तिथि से 15 दिवस में संबंधित सेवाये उपलब्ध करानी होगी, अन्यथा प्रतिदिन प्रति सेवाकर्मी रूपये 300/– शास्ति एवं अन्य से कार्य करवाने की स्थिति में अतिरिक्त लागत की राशि संवेदक के बिल में से वसूल की जावेगी।

15. संवेदक द्वारा सेवा के दौरान जान–माल अथवा अन्य किसी भी प्रकार की हानि होने पर हानि एवं क्षति के लिए संवेदक का उत्तरदायित्व होगा, निगम का कोई उत्तरदायित्व होगा। संवेदक को WC Insurance स्वंय के स्तर पर कराना होगा।
16. आदेशित सेवा उपलब्ध न कराने की स्थिति में इसे अनुबंध का खंडन माना जायेगा एवं निगम को धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एंव संवेदक की Risk and Cost पर अन्य फर्म से कार्य सम्पादित करवाया जायेगा।
17. धरोहर राशि को निम्नलिखित स्थितियों में जब्त कर लिया जायेगा :–
   - जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकृत करने से पूर्व प्रस्ताव वापस लेता है अथवा उसमें संशोधन (Modification) प्रस्तावित करता है।
   - जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अनुबंध नहीं करता है।
18. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति पत्र जारी होने से 15 दिवस की अवधि के भीतर नियमानुसार उपयुक्त नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार–पत्र निष्पादन करना होगा तथा करार पत्र के साथ ही निविदा राशि का 2.5% प्रतिभूति राशि एफडीआर/बैंक गांरटी के रूप में जमा करानी होगी। करार पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा कराने के पश्चात कार्यादेश जारी किया जायेगा। निर्धारित समयावधि में करार पत्र निष्पादन नहीं करने व प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
19. सफल निविदादाता द्वारा निविदा के समय जमा कराई गई धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कराया जा सकेगा।
20. प्रतिभूति राशि पर निगम द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
21. सशर्त निविदा अमान्य होगी।
22. समस्त विधिक कार्यवाही हेतु न्याय क्षैत्र जोधपुर शहर होगा।
23. स्वीकृत दरों पर सुरक्षागार्ड की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की सकती है।
24. अनुबंध की शर्तो तथा किसी अन्य संबंधित मामलों में निगम का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
25. संवेदक द्वारा कार्य का बिल (तीन प्रतिओं में) माह समाप्ति बाद अगले माह की 07 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। भुगतान RTGS/NEFT के द्वारा नियमानुसार आयकर/अन्य कोई कर, जो लागू हो, काटकर किया जावेगा।
26. अनुबंध की शर्तो के अनुरूप यदि सेवाये संतोषप्रद नहीं रही, तो 7 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा तथा धरोहर/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी तथा आगामी अवधि का नया टेण्डर किया जावेगा, जिसमें ज्यादा दर आने पर, अन्तर राशि संवेदक से वसूल की जावेगी।
27. निविदादाता को राजकीय विभागो/उपक्रमों/स्वायतशाषी संस्थाओं में सुरक्षागार्ड की आपूर्ति कराने का पिछले तीन वर्षो में से किन्ही दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। प्रतिवर्ष पृथक–पृथक कम से कम 50 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का अनुभव होना आवश्यक है तथा सुरक्षागार्ड की आपूर्ति करने का सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र सलंग्न करना होगा।
28. अनुबंध की अनुमति कार्य करने की क्षमता एवं अनुभव का ध्यान में रखकर पहले तीन माह के लिए दी जायेगी। जो कार्य संतोषजनक पाये जाने पर एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। एक वर्ष बाद अनुबंध की अवधि उन्ही दरों एवं शर्तो पर आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।
29. सुरक्षागार्ड की संख्या बढ़ाने, घटाने का अधिकार केवल आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को होगा।
30. निविदादाता को तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ PF, ESI, G.S.T No. PAN Number एवं विभाग में मानवश्रम आपूर्ति के उद्देश्य के रूप में Shop & Commercial Establishment Act. में पंजीयन के प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति सलंग्न करनी होगी। विवरण सलंग्न प्रपत्र में अंकित करना होगा।

| क्र सं. | विवरण | रजि. सं. | वर्ष | पंजीकरण दिनांक | संलग्न |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 | | | | |
| 02 | कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 | | | | |
| 03 | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 | | | | |
| 04 | वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) पंजीयन | | | | |
| 05 | आयकर (पैन नं.) | | | | |
| 06 | राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत | | | | |

31. निविदा में वर्णित प्रमाण–पत्रों तथा अनुभव प्रमाण पत्रों का सम्बन्धित विभाग से सत्यापन करवाया जावेगा।
32. निविदा में न्यूनतम दर होने से ही कोई निविदादाता निविदा आवंटन का अधिकारी नहीं होगा। निगम को नेगोसिऐशन करने, काउन्टर ऑफर देने या लिखित कारणों से न्यूनतम निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
33. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
34. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेते हुए अर्हत होगें। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
35. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्रवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाऐ 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्व न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
36. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
37. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
38. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
39. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpine नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

40. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं एस. आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

41. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि अतिरिक्त देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवानें की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा (जी.एस.टी.) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

42. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसकें परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उतरदायी होगा।

43. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायित्व होगा।

44. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटानें, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

45. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

46. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किए जाने की शिकयत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

47. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नही करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षत स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक कों 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

48. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय की अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

49. जीएसटी/भविष्य निधि/ई.एस.आई./कर्मचारी अंशदान को संवेदक, स्वयं अपने कोड से सम्बन्धित विभाग में जमा करावेगा एवं जमा चालानों की प्रतियां मांगे जाने पर प्रति माह के बिलों के साथ प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा बिल से उक्त सभी अंशदानों की सम्मलित राशि रोककर भुगतान किया जायेगा। इस हेतु पूर्ण उत्तरदायित्व संवेदक का होगा। नगर निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

50. संवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बाल श्रमिक/अवयस्क (18 वर्ष की आयु से कम) अवांछनीय व्यक्ति, न्यायालय द्वारा दोषी व्यक्ति अथवा असामाजिक तत्व उसके द्वारा नियोजित न हो।

51. राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि किये जाने पर तदनुसार सुरक्षागार्ड को भुगतान का दायित्व संवेदक का होगा। नगर निगम द्वारा इसके लिए निविदा में प्रस्तुत एवं स्वीकृत दरों के अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

52. अतिरिक्त सुरक्षागार्ड की मांग किये जाने पर संवेदक को तुरन्त (अधिकतम 2 घण्टे में) व्यवस्था करनी होगी। अन्यथा संवेदक की लागत एवं जोखिम पर निगम द्वारा अतिरिक्त सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जाकर अतिरिक्त लागत एवं कार्य में नुकसान होने से निगम को होने वाली हानि की भरपाई संवेदक के बिल से की जावेगी।

53. संवेदक द्वारा नियोजित सुरक्षागार्ड से निगम से सम्बन्धित कोई भी सुसंगत कार्य करने हेतु कहा जा सकता है तथा कोई भी सुरक्षागार्ड निर्देशानुसार कार्य करने के लिए इन्कार कर देता है तो उस सुरक्षागार्ड को तत्काल हटाकर दूसरे सुरक्षागार्ड को लगाना होगा। सुरक्षागार्ड द्वारा किसी कार्य के लिए इनकार करने या विलम्ब करने से निगम के कार्य में कोई व्यवधान या हानि होती है तो उसकी वसूली संवेदक से की जावेगी एवं शास्ति भी आरोपित की जा सकेगी। इस हेतु आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

54. अनुबंधकर्ता को प्रति कार्य दिवस को निर्धारित संख्या में सुरक्षागार्ड आपूर्ति कराने होगे। निर्धारित संख्या में आपूर्ति न कराने की स्थिति में प्रतिदिन न्यूनतम रूपये 300/- प्रति सुरक्षागार्ड, शास्ति आरोपित की जावेगी। इसके अतिरिक्त निगम अनुबंधकर्ता की जोखिम एवं खर्चे पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने को स्वंतत्र होगा।

55. संवेदक अथवा उसका प्रतिनिधि हमेशा कार्यो के सुपरविजन हेतु कार्यालय समय में कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा तथा प्रभारी/अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करवायेगा।

56. संवेदक द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सुरक्षागार्ड को उनके परिचय पत्र बनाकर देना होगा जो निगम में ड्यूटी के दौरान सम्बन्धित व्यक्तियों के पास पॉकेट/गले में पहचान हेतु लगा होगा। बिना परिचय पत्र के कोई भी व्यवक्ति कार्य पर नहीं लिया जावेगा। इसके अतिरिक्त जॉब श्रमिक को वोटर आई.डी. अथवा आधार कार्ड, दोनों में से कोई एक आई.डी. भी रखनी होगी, जो मांगने पर दिखानी होगी।

57. निविदादाता/निविदाता फर्म/संस्था का कोई निदेशक/प्रबंधी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं होना चाहिए। संविदा के अन्तर्गत निगम में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति को सेवा पर नहीं भेजा/लगाया जायेगा। इस हेतु तथा सभी तथ्य पूर्ण एवं सही होने के सम्बन्ध में तकनीकी निविदा के साथ सलंग्न प्रपत्र अनुसार रूपये 100/- के स्टाम्प पर निविदादाता द्वारा नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र दिया जावेगा।

58. निविदादाता फर्म/संस्था होने की में सभी भागीदारों द्वारा तथा प्रबंधियों के नाम पते देने होगे तथा फर्म की भागीदारी डीड/संस्था के संविधान व उद्देश्यों की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति सलंग्न करनी होगी।

59. संवेदक सम्बन्धित व्यक्ति की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी कागजात/दस्तावेजों की स्व. हस्ताक्षरित फोटों प्रति रखेगा एवं उन पर मूल दस्तावेजों से मिलान करने का अंकन अपनी ओर से करेगा। कार्यालय अधिकृत व्यक्तियों द्वारा मांगने पर संवेदक उक्त अभिलेखों को दिखाऐगा एवं मांगने पर फोटोप्रति भी उपलब्ध करवाऐगा। शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक कागजात/दस्तावेज लेने एवं योग्यता होने की सुनिश्चितता सम्बन्धी दायित्व संवेदक का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा कमी होने पर संवेदक कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायी होगा।

60. श्रम विधि तथा विधि के अन्य सुसंगत प्रावधानों की पालना संवेदक अपनी ओर से सुनिश्चित करेगा। इसकी पालना नहीं होने पर संवेदक विधिक कार्यवाही हेतु दायी रहेगा।

61. सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर एक समान ड्रेस में आयेगे, जो साफ व धुली हुई होगी तथा सलीके से पहनी हुई होगी। फटी तथा मैली-कुचैली ड्रेस स्वीकार नहीं की जावेगी। जुते पॉलिश किये हुए होने चाहिऐ।

62. सभी कार्मिक साफ–सुथरे धुले कपड़े पहनकर एवं सलीके से कार्य स्थल पर उपस्थित होगे तथा कार्य व्यवहार में संयमित तथा अनुशासित एवं शिष्ट बने रहेगे।

63. सुरक्षा गार्ड की उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी एवं दिखने में शारीरिक रूप से हष्ठ–पुष्ठ एवं चुस्त–दुरूस्त होना चाहिए।

64. अतिक्रमण एवं कानून व्यवस्था के दौरान सुरक्षा उपकरण यथा ढ़ाल, जैकेट, हेलमेट, हाथ एवं पैर के पैड, लाठी, बरसात में रेनकोट, टॉर्च आदि सामग्री की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने का दायित्व संवेदक का होगा। इस हेतु निगम द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

65. रेक्सकों द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा अथवा स्थायी भर्ती द्वारा पूर्ति होने पर निगम ठेके के अन्तर्गत किसी भी समय सुरक्षागार्ड की संख्या कम/अधिक कर सकता है अथवा अनुबंध भंग कर सकेगा।

66. सुरक्षा गार्ड की कस्टडी में निगम की सम्पति का किसी भी प्रकार का नुकसान, चोरी, हानि आदि होने पर संवेदक से वसूली की जावेगी।

67. सुरक्षागार्ड को सम्बन्धित कार्यस्थल के प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा। सुरक्षागार्डो की निगरानी एवं चेकिंग प्रभारी, पुलिस निरीक्षक, अतिक्रमण शाखा, नगर निगम जोधपुर दक्षिण होगे।

68. प्राईवेट सिक्योरिटी एजेन्सी (रेगुलेशन) अधिनियम 2005 एवं इसके तहत बने नियमों की पालना संवेदक को करनी होगी।

69. संवेदक द्वारा कार्य पर लगाये गये व्यक्ति/श्रमिक को, संवेदक द्वारा मांग पहचान–पत्र जारी किया जावेगा, जो हर समय रखना होगा एवं मांगने पर प्रस्तुत करना होगा एवं बैज के रूप में गले में टांगना होगा। इनका पालन कराना संवेदक का दायित्व होगा।

70. संवेदक द्वारा सुरक्षा प्रहरी का शासकीय नियमों में विहित कुशलता मानदण्डों के अनुरूप Trade परीक्षण कर वांछित कुशलता का स्तर रखने वाले सुरक्षा गार्डो को ही उपलब्ध कराया जायेगा। निगम अथवा निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी/व्यक्ति उपलब्ध कराये गये सुरक्षा गार्डो का Trade कुशलता का परीक्षण कर सकेगा। वांछित/संतोषप्रद स्तर नहीं पाये जाने पर दूसरा गार्ड तुरन्त उपलब्ध कराना होगा। स्थानापन्न का अवसर केवल एक बार ही देय होगा। 10 प्रतिशत से अधिक सुरक्षागार्डो का वांछित/संतोषप्रद स्तर नहीं पाये जाने पर अनुबंध निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

71. निविदा की शर्तो, विधि के सुसंगत नियमों, उपनियमों एवं प्रावधानों इत्यादि का उल्लंघन करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। इनका पालन करना संवेदक का दायित्व होगा।

77. ई–निविदा/बोली, निविदा/बोली सूचना में दिये गये निर्देशो के अनुसार यथोचित रूप से ई–निविदा बोली के साथ निर्धारित निविदा/बोली शुल्क का मूल डी.डी./बैंकर चैक ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क की मूल डी.डी., धरोहर राशि का मूल डी.डी./बैंकर चैक तथा अन्य वांछित मूल दस्तावेजों के आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर उसे आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण को निर्धारित तिथि व समय से पूर्व तक कार्यालय में जमा/प्रस्तुत करने होगें। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदा/बोली पर विचार नही किया जाएगा एवं स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

78. ऑन–लाईन अपलोडेड निविदाओं को निर्धारित तिथि व समय पर खोला जायेगा। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता हैं तो आगामी कार्य दिवस को निविदा/बोली उसी समय पर खोली जायेगी।

79. सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी।

80. बोलीदाता/संवेदक बिन्दु निविदा/बोली के अन्त में प्रत्येक पृष्ठ/वांछित कॉलम/ स्थान पर समस्त निबन्धनो एवं शर्तो (Term &Conditions) को स्वीकार करने के प्रमाणन के रूप में नियमानुसार अपने हस्ताक्षर/डिजीटल हस्ताक्षर करेगा।

81. बोलीदाता/संवेदक अपनी निविदा/बोली या उसके किसी सारभुत भाग को ना तो किसी एंजेसी को सौप सकेगा ना ही किसी को आगे निविदा/बोली पर दे सकेगा।

82. बोलीदाता/प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार ही अनर्हता (Disqalification) होगी।

83. निविदादाता के पास स्वंय के नाम अथवा फर्म के नाम का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र होना आवश्यक हैं। सक्षम प्राधिकारी/रजिस्ट्रार से पंजीकृत संस्थाओ द्वारा ही दी गई निविदा /बोली मान्य होगी। संस्था का स्वंय के नाम अथवा फर्म के नाम से बैंक में खाता होना आवश्यक हैं।

84. निविदा/बोली किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की और से किसी एक साझेदार को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पॉवर ऑफ अर्टोनी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैं। निविदा/बोली स्वीकृत के बाद फर्म के संविधान में कोई परिर्वतन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबन्ध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नही डालेगा। इसी प्रकार जबतक इस अनुबन्ध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नही करे तबतक फर्म में कोई साझेदार सम्मिलित नही किया जावेगा। निविदादाता कम्पनी/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही निविदा/बोली भरी जावेगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृती निविदा/बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

85. दरें अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। संविदा का समय संविदाकार एंव विभाग की आपसी सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकेगा।

86. **बोलीयो की विधि मान्यता की कालावधि** :– बोली लगाने वालो के द्वारा प्रस्तुत बोली की कालावधि सामान्यतया नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगी।

87. **बोली प्रतिभूति का समपहृत :–**

1. बोली लगाने वाले से ली गई प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों मे समपहृत कर दी जायेगी, करता हैं :–

(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता हैं।

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता हैं।

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता हैं।

(ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम ओर इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता हैं।

2. सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती हैं यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता हैं।

88. बोली स्वीकृत अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नही हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक सेवाप्रदाता से अधिक को सेवा की मदों को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

89. बिल एंव बिल के साथ समस्त संलग्नकों पर अनुबन्धित फर्म या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर अंकित होना आवश्यक है। बिल पर अनुबन्धित फर्म या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिल पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

90. यदि अनुबन्धित फर्म के किसी कृत्य या अपकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें नगर निगम जोधपुर दक्षिण प्रशासन को भी पक्षकार बनाया हैं तो संबंधित न्यायालय में एडवोकेट, जवाब दावा पेश करने में नगर निगम जोधपुर दक्षिण पर पड़ने वाला समस्त आर्थिक भार अनुबन्धित फर्म से वसूल किया जावेगा।

91. अनुबन्ध समाप्ति के समय निगम प्रशासन द्वारा अनुबन्धित फर्म से मांगे गये आवश्यक समस्त दस्तावेज/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रतिभूति राशि एंव बैंक गारन्टी लौटाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

92. अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर अनुबन्ध की शर्तो की पालना नहीं करने या अनुबन्धित फर्म का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर पूर्ण प्रतिभूति राशि को जब्त करने का पूर्ण अथवा आंशिक अधिकार आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण का होगा।

93. कार्यालय/ट्रेजरी से किसी भी कारण से देरी से बिल पास होने पर देरी से भुगतान प्राप्त होने पर अनुबन्धित फर्म किसी भी प्रकार का क्लेम, निगम प्रशासन से नहीं करेगा।

94. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत /डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

95. यदि संवेदक कार्य के किसी भाग को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नहीं करता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वे निविदादाता को कोई सूचना दिये बिना इसकी जोखिम पर आपूर्ति सम्पंन्न कराई जावेगी। निविदादाता इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा किये गये जाने वाले समस्त खर्चे एवं विभाग की हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकार के हर्जे–खर्चे एवं जोखिम पर कार्य कराते समय विभागीय प्राधिकारी नियमानुसार निर्णय लेगा।

96. अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि मे से तुरन्त कर ली जावेगी तथा प्रतिभूति राशि से अधिक वसूली बनती है तो बैंक गारंटी से तुरन्त राशि वसूल कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नही हो तो राजस्थान लोकमॉग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

97. निविदाकार को देय भुगतान मे से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्त्रोत पर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौति की जाकर भुगतान किया जावेगा। बोलीदाता/संवेदक के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा।

98. विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण का निर्णय अंतिम होगा व बोलीदाता /संवेदक को मान्य होगा।

99. किसी भी कानूनी कार्यवाही करने से पूर्व यदि जरूरत पड़े तो दोनो पक्ष अपने प्रकरण को आरबीट्रेटर के समक्ष रखें। तत्पश्चात् समस्त कानूनी कार्यवाहियां यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो संबंधित जिला न्यायालयों में ही की जानी होगी। अन्य स्थान पर नहीं होगी अर्थात समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर स्थित न्यायालय होगें।

100. **बोलियों का प्रत्याहरण प्रतिस्थापन और उपान्तरण** :– बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात् उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित/लिखित नोटिस भेजकर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। नोटिस–

(क) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये और इसके अतिरिक्त लिफाफें पर स्पष्ट रूप से ''प्रत्याहरण'', ''प्रतिस्थापन'',''उपान्तरण'' अंकित हो और (ख) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम समय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाल दिया जाये।

(1) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, बोली लगाने वाले को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

(2) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियां की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

101. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**:– बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियो में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी:– (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया

जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई हैं। ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा। (ख) यदि योग के घटकों के जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गई हैं तो घटक अभिभावी होगें और योग में सुधार किया जायेगा। (ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दो में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपुर्यक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

102.**राजस्थान की और बाहर की फर्मो की दरों की तुलना :–** उन फर्मो की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नही है, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए राजस्थान की फर्मो द्वारा कोट की गयी दरों से जी.एस.टी. का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मो की दरों की से केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जावेगा।

103.**किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :–** उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रकिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्व किये जायेगें।

104.**परिमाण में परिर्वतन का अधिकार :–**

(1) संविदा के अधिनिर्णय के समय बोली दस्तावेजों मे मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मो या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रति ात से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजो के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनो और शर्तो मे किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिर्वतन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो संविदा में दी गई दरों और शर्तो पर दिये जा सकेगें। यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होगीः–

(क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

105.**अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालो के बीच परिमाणों का विभाजनः–** सामान्य नियम के रूप मे उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेगें जिसकी बोली स्वीकार की गई है तथापि जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नही हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले जिसकी बोली स्वीकार की गई है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या किसी क्रम में और भी बोली लगाने वालो के बीच उस बोली लगाने वाले की दरों पर जिसकी बोली स्वीकार की गई है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति प्रस्ताव बातचीत के समान होगी। तथापि परिमाणों के विभाजन की दशा मे जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2) तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल

3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गई दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

106.**कार्य सम्पादन प्रतिभूति** :– सफल बोली लगाने वालों से कार्य निष्पादन प्रतिभूति को रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामलें में प्रदाय आदेश की रकम की ढाई प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:–

1. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते में उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना नियत जमा रसीद (एफडीआर) का मांग पर ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।
2. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।
3. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटिया। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से सम्बन्धित अन्य शर्त बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होगी।
4. कार्य सम्पादन प्रतिभूति वांरटी बाध्याताओं और रख–रखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं को पूरा होने की तारीख से परें साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।
5. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जाएगा।

107.**कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण** :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों मे समपहरण किया जा सकेगा।

(1) जब संविदा के किन्ही निबंधनो और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(2) जब बोलीदाता/संवेदक सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

108.**करार का निष्पादन** :–

(1) सफल बोली लगाने वाले को निविदा/बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक हैं।

(2) यदि बोली लगाने वाला जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्व अधिनियम या इन नियमों के उपबंधो के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था ऐसे मामलों में उपापन प्रकिया रद्व कर संकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेजो में उपवर्णित कसौटी और प्रकियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृत का प्रस्ताव दे सकेगी।

109.**सत्यनिष्ठा संहिता** :– उपापन प्रकिया में भाग लेने वाल कोई भी व्यक्ति,

(1) उपापन प्रकिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रकिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नही करेगा।

(2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नही करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रवरित रहने के लिए गुमराज करता हो या गुमराज करने का प्रयास करता हो।

(3) उपापन प्रकिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्वि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगी।

(4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गई किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुचाने ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगी।

(6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(7) हित का विरोध यदि कोई हो प्रकट करेगा।

(8) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी भी विवर्जन को प्रकट करेगा।

**हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर**